दिल्ली विकास प्राधिकरण

[नजारत शाखा]

सं. एफ.1 (1)/96/ नजारत/ भाग/डीडीए/92 **दिनांकः 2 मार्च, 2007**

<u>परिपत्र</u>

इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र संख्या 604 तथा तदोपरान्त दिनांक 17.01.2007 को जारी अनुस्मारक का संदर्भ लेते हुए, जिसमें यह अवगत कराया गया था कि विकास सदन के निम्नतल में ज्यादातर स्टोर्स अवस्थित है, और ये बहुत ही लंबे समय से बंद हैं अथवा इनका नियमित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा तथा रखरखाव के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को उनके स्टोर्स में इनकी उपयोगिता की तुरंत पुष्टि सहायक निदेशक (नज़ारत) को करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें विफल होने पर बेनाम स्टोर्स के तालों को तोड़कर खोला जाएगा नज़ारत शाखा द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। इससे वांछित प्रयुत्तर प्राप्त नहीं हो सके हैं।

इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14.03.2007 को प्रातः 11:30 बजे सभी स्टोर्स का निरीक्षण किया जाएगा और बेनाम स्टोर्स के तालों को सहायक निदेशक (नज़ारत), एई (सिविल) अनुरक्षण तथा एक सुरक्षा अधिकारी को सम्मिलित र गठित समिति की उपस्थिति में तोड़ कर खोला जाएगा।

सभी विभाग प्रमुखों तथा संबंधित शाखा अधिकारियों से अतएव अनुरोध है कि वे उनके किसी एक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दें।

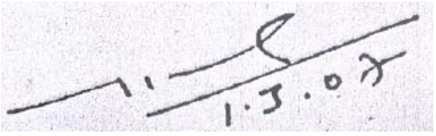

[डॉ आर.के. शर्मा]
निदेशक [नजारत]

सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपिः-

(1) आयुक्त (एलडी)

(2) आयुक्त (एलएम)

(3) आयुक्त (आवास)

(4) मुख्य लेखा अधिकारी।

(5) मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

(6) सभी निदेशक

(7) उप एफ.ए. (आवास)/ उप सीएओ

(8) सहायक निदेशक (नजारत)] उन्हें उपरोक्त दिनांक और समय पर

(9) ए.ई. (सिविल) रखरखाव, एसईडी-XI] आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक

(10) सुरक्षा अधिकारी, विकास सदन] होने के निर्देश दि जाते हैं।